सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 201/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–16.07.2025

GCMS ID–2025/39

बउनवान

1. प्रताप आयु 95 वर्ष आ० चतरा जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
2. महावीर आयु 56 वर्ष पुत्र प्रलाप जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
3. रामराज आयु 45 वर्ष पुत्र प्रताप जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
4. मुकेश कुमार आयु 32 वर्ष आ० महावीर जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
5. दुर्गेश आयु 25 वर्ष पुत्र महावीर जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी

प्रार्थीगण

बनाम

1. बरधा आयु 70 वर्ष आ० केसरा जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
2. गिरिराज आयु 45 वर्ष पुत्र बरधा जाति लोधा निवासी ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बूंदी
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज़.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थीगण :– श्री शम्भूदयाल शर्मा।

वकील अप्रार्थीगण :– चन्द्रप्रकाश जैन।

आदेश

दिनांक :–29.01.2026

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा सं० 1042 रकबा 0.0890 हैक्टर, 1243/1041 रकबा 0.8255 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.9145 हैक्टर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मंडल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी दुर्गेश व मुकेश कुमार की खातेदारी में दर्ज है। चाह खसरा सं0 1045 रकबा 0.0890 हैक्टर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मंडल चेंता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी प्रताप, महावीर व रामराज तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं० 1046 रकबा 0.6961 हैक्टर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मंडल चेता तह० हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थी महावीर की खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरासं० 1040 रकबा 0.6394 हैक्टर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मंडल चैता तहसील हिण्डोली जिला बूंदी में स्थित है जो प्रार्थी रामराज पि० प्रताप की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है प्रार्थीगण के हितो में कोई विरोधाभास नहीं है। भूमि खसरा सं0 1042 व 1243/1041 की पूर्वी साईड पर अप्रार्थी बरधा आ० केसरा की खातेदारी भूमि खसरा सं० 1043 स्थित है तथा उक्त भूमि खसरा सं० 1043 के दक्षिणी साइड पर शामालती चाह खसरा सं0 1045 स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। भूमि खसरा सं0 1044 अप्रार्थी बरधा की खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि के दक्षिण साईड पर खसरा सं० 1046 प्रार्थी महावीर की खातेदारी भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडोसी है लेकिन अप्रार्थी भूमि खसरा सं० 1043 व खसरा सं० 1044 व शामलाती चाह की आडा में प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करते है मेडो को तोडते है और मना करने पर लडाई झगडा कर जान से मारने की धमकिया देते है जिससे आये दिन तनाव बना रहता है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 1042 व 1243/1041 के तथा अप्रार्थी सं० 1 बरधा की भूमि खसरा सं० 1043 के मध्य बरसो से मोके पर मेड बनी हुई थी उक्त मेड को अप्रार्थीगण ने जबरन हांक कर खेत में मिला लिया और मेड पर लगे हुये पेडों को भी काट दिया और मना करने पर मारपीट करने की घकी दी जिसकी रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 को थाना हिण्डोली में पेश की जहां पुलिस ने अप्रार्थीगण को बुलाया और समझाईश की गई जिसमें भूमि का सीमाज्ञान करवाने के उपरांत अपनी–अपनी सीमा में काबिज हो जायेंगे । उक्त राजीनामा दिनांक 18.11.2024 की पालना में प्रार्थीगण ने अपनी भूमि का सीमा ज्ञान करवा लिया लेकिन सीमाज्ञान के उपरांत भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 1042, 1243/1041 व 1046 की सीमा पर आये दिन सीमाबंदी को लेकर विवाद करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। जून 2025 में सीमाज्ञान करवाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करते है. तब प्रार्थीगण ने कहा कि आप सीमाज्ञान के बाद राजीनामा पर कायम रहे लेकिन उन्होने सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया इस कारण प्रार्थीगण को जून 2025 में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा सं० 1042, 1243/1041 की पूर्वी सीमा पर व खसरा सं० 1046 की उतरी सीमा पर व चाह खसरासं० 1045 की चारो सीमाओं पर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर पत्थरगढी कर अपनी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित कर सके। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 1042, 1243/1041 की पूर्वी सीमा पर व खसरासं० 1046 की दक्षिणी सीमा पर व चाह की सीमा पर आये दिन विवाद करने से प्रार्थीगण के समक्ष पत्थरगढ़ी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण भूमि की जिस सीमा पर पत्थरगरी करवाना चाहते है उसको नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

अंग है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण हक व अधिकार है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। श्रीमान को पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं० 1042, 1243/1041 की पूर्वी सीमा पर व खसरासं० 1046 की उत्तरी सीमा पर व चाह खसरा सं0 1045 की चारो सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना स्वीकार करते हुए अन्य तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जब से उक्त भूमियॉ खरीद की गई थी, तब से वर्तमान स्थिति बनी हुई है और उसी अनुरूप पक्षकारान शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण इस आड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जावे। अप्रार्थी संख्या 3 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक पक्षकारान को सुना गया। बहस वकील पक्षकारान मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र/जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 300 व 154 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 300 के खसरा संख्या 1042 रकबा 0.0890 हैक्टैयर, खसरा संख्या 1243/1041 रकबा 0.8255 हैक्टेयर व खाता संख्या 154 के खसरा संख्या 1046 रकबा 0.6961 हैक्टेयर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहर्रीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446